समक्ष जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी, जे. जे.

रचना कुमारी और अन्य---------अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य---------प्रतिवादी

2016 का एलपीए नंबर 1659

04 मई 2022

भारत का संविधान, **1950-** अनुच्छेद **226** और **227** -विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के परिणाम को चुनौती -विज्ञापन में कोई चयन मानदंड तय नहीं -परिणाम की घोषणा के समय मानदंड का खुलासा -लिखित परीक्षा का अभाव -साक्षात्कार के लिए दिए गए/आवंटित अधिकतम अंक -शर्त उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता और मानदंडों का तरीका उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा - माना जाता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले और चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को चयन मानदंडों को चुनौती देने से रोका जाता है - इसके अलावा चयन मानदंड संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित किए गए थे -देरी- नियुक्तियों को हुए एक दशक से भी अधिक समय बीत गया-एलपीए को खारिज कर दिया गया।

माना गया कि, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती संक्षेप में विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षकों के परिणाम थी, जिन्हें दिनांक 07.06.2012 के विज्ञापन से संबंधित मंजूरी दे दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क यह था कि विज्ञापन में कोई चयन मानदंड तय नहीं किया गया था और इसका खुलासा केवल परिणाम की घोषणा के समय किया गया था। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता और मानदंड का तरीका उन पर बाध्यकारी होगा। इसे पहले कोई चुनौती नहीं दी गई थी और चयन में भाग लेने के बाद याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने से रोक दिया गया था। इसी प्रकार, चयन मानदंड तय करने का चयन मंडल का अधिकार संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा किया गया माना गया क्योंकि मंडल के सदस्यों को एक क़ानून द्वारा नियुक्त किया गया था जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे।

(2 पैरा)

आगे कहा गया कि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया में भाग लिया था और अब वे पलट कर यह नहीं कह सकते कि मानदंड उचित नहीं हैं। सिद्धांत को संदेह की निहाई से परे स्थापित किया जा रहा है

एक बार भाग लेने और चयनित न होने पर उम्मीदवारों को मानदंडों को चुनौती देने से रोक दिया जाता है। लिखित परीक्षा के अभाव में, उस समय याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन करने का विकल्प चुना था। श्रेणी न बनाने के बाद ही, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसलिए, अब वह पलट कर यह नहीं कह सकते कि निर्धारित मानदंड गलत थे, जिसके तहत साक्षात्कार के लिए 33 अंक दिए गए थे। उक्त सिद्धांत सभी चारों कोनों पर पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिए गए हैं और याचिकाकर्ता इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने खुली आँखों से इसमें भाग लिया है।

(10 पैरा)

आगे कहा गया कि, ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि याचनाकर्ताओं के दावे को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कोई भी इस तथ्यात्मक पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने और नियुक्तियाँ किए जाने के बाद से लगभग एक दशक का समय बीत चुका है। इस समय, किसी भी उम्मीदवार या चयन समिति के खिलाफ किए गए किसी भी विशिष्ट दावे के अभाव में, निजी उत्तरदाताओं को नुकसान पहुंचाते हुए, समय को पीछे ले जाना अत्यधिक असमान होगा।

(15 पैरा)

अशोक भारद्वाज, वकील याचनाकर्ताओं के लिए

एलपीए-1659, 1627, 1658, 2522-2016,

एलपीए-2387-2017 और एलपीए-977-2018 में

याचनाकर्ताओं के लिए वकील।

तुषार वाधवा, संजीव गुप्ता के वकील,

एलपीए-1138-2016 में याचनाकर्ताओं के वकील।

हितेश पंडित, अतिरिक्त लोक अभियोजक, हरियाणा।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) वर्तमान निर्णय एलपीए-1659, 1138, 1627, 1658 और 2522-2016, एलपीए-2387-2017 और एलपीए-977-2018 से संबंधित 7 अपीलों का निपटान करेगा, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। जिसका मुख्य मामला सी. डब्ल्यू. पी.-11736-2013 था । जिसका शीर्षक जगबीर सिंह बनाम था। हरियाणा राज्य और अन्य तथा 64 अन्य रिट याचिकाएं भी 15.02.2016 को खारिज कर दी गई थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान याचनाये याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं, जो विभिन्न याचिकाये के पार्टियों की श्रृंखला से

स्पष्ट होगी।

(2) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती संक्षेप में विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षकों का परिणाम थी जिसे दिनांक 07.06.2012 के विज्ञापन से संबंधित मंजूरी दे दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क यह था कि विज्ञापन में कोई चयन मानदंड तय नहीं किया गया था और इसका खुलासा केवल परिणाम की घोषणा के समय किया गया था। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता और मानदंड का तरीका उन पर बाध्यकारी होगा। इसे पहले कोई चुनौती नहीं दी गई थी और चयन में भाग लेने के बाद याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने से रोक दिया गया था। इसी प्रकार, चयन मानदंड तय करने का चयन मंडल का अधिकार संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा किया गया माना गया क्योंकि मंडल के सदस्यों को एक क़ानून द्वारा नियुक्त किया गया था जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 67 अंक और साक्षात्कार के लिए 33 अंक दिए जाने से चयन मंडल को इस तथ्य के कारण कोई विवेकाधिकार नहीं मिला कि कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई थी।

(3) अंजार अहमद बनाम बिहार राज्य और अन्य के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें साक्षात्कार के लिए 50% अंकों को बरकरार रखा गया था और अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और मोहिंदर सैन गर्ग बनाम पंजाब राज्य और अन्य में शीर्ष अदालत के पहले के फैसले पर भरोसा किया गया था। पंजाब राज्य और अन्य को प्रतिष्ठित किया गया था। इसी तरह. सिया राम बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के विचारों और गुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले के साथ-साथ जगमाल बनाम हरियाणा राज्य में फैसले पर भरोसा किया गया था।

(4) यह भी देखा गया कि चयन समिति और उसके सदस्यों के खिलाफ कथित दुर्भावना के अभाव में और न ही उन्हें पक्ष के रूप में पेश किया गया, दावे को खारिज नहीं किया जा सका। एचटीईटी/एसटीईटी और बीएड में उत्तीर्ण होने से छूट को चुनौती दी गई |

1994 (1) एससीसी 150

एआईआर 1987 एससी 454

1991 (1) एससीसी 662

1998 (2) एससीसी 566

1999 (3) एससीटी 248

2007 (1) एसएलआर 177

परीक्षा का आयोजन मानकों को कमजोर करने जैसा नहीं था क्योंकि हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय श्रेणी (समूह बी) सेवा नियम, 2012 में संशोधन किया गया था, जिसके अधिकार को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और शिवानी गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में बरकरार रखा गया था। अन्य की खंड पीठ द्वारा। यह देखा गया कि यह एक बार का उपाय था और उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर छूट दी गई थी और इसमें कोई कमी नहीं थी।

(5) अंत में, यह देखा गया कि यह तर्क कि उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक दिए गए थे, जिनके पास शिक्षाविदों में अधिक अंक थे, यह भी प्रस्तुत करने के लिए संचित्र पर विचार करके अलग किया गया था कि यह याचिकाकर्ताओं के मामले को भी गलत ठहराता है। जिन अभ्यर्थियों को शिक्षाशास्त्र में अधिक अंक प्राप्त हुए थे, उनका भी चयन कर लिया गया था और इसलिए, ऐसा नहीं था कि कम अंक प्राप्त करने वाले अधिकांश व्यक्तियों का चयन किया गया था। उच्च शैक्षणिक अंक वाले चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत भी काफी बड़ा था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि अंक देने में कोई मनमानी हुई थी।

(6) याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि रामजीत सिंह कर्दम और अन्य बनाम संजीव कुमार और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उन तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा, जिनमें उन उम्मीदवारों को उच्च अंक दिए गए हैं, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। शैक्षणिक योग्यता में अच्छे अंक होने पर, इस न्यायालय द्वारा कला एवं शिल्प शिक्षकों के चयन को रद्द कर दिया गया था। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चयन सूची रद्द होने योग्य थी और विद्वान एकल न्यायाधीश याचिकाओं को खारिज करने में सही नहीं थे।

(7) दूसरी ओर, राज्य वकील का मानना है कि साक्षात्कार के अंक निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिए गए हैं और विशिष्ट उम्मीदवारों या चयन समिति या मंडल के सदस्यों के खिलाफ किसी भी दुर्भावना के अभाव में, वर्तमान अपीलें खारिज होने योग्य हैं और इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को उचित ठहराया गया है।

(8) अभिलेख पुस्तिका के अवलोकन से पता चलता है कि विज्ञापन संख्या 1/2012 दिनांक 07.06.2012 (अनुलग्नक पी-1) की शर्तों के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पीजीटी) विभिन्न विषयों में कुल 4271

2013 (1) एससीटी 545

2020 (2) एससीटी 491

अंतिम तिथि 28.06.2012 थी और शुल्क 29.06.2012 तक जमा करनी थी। तिथि 15.07.2012 तक बढ़ा दी गई थी। हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन मंडल ने सूचित किया था कि बड़े पैमाने पर आवेदन के मामले में, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची लिखित परीक्षा आयोजित करके या मंडल और मंडल द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षणिक मानदंड या प्रतिशत कटौती के आधार पर की जा सकती है। मंडल का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी था। नीचे जैसा ही पढ़ा जाता है।

> "निर्धारित आवश्यक योग्यता किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देती है। आवेदनों की संख्या बड़े पैमाने पर होने की स्थिति में, हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन मंडल (एचएसटीएसबी) लिखित परीक्षा आयोजित करके या साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूची कर सकता है। मंडल द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षणिक मानदंड या प्रतिशत औसत के आधार पर। किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, उम्मीदवारों की पात्रता/उपयुक्तता, चयन का तरीका और मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में मंडल का निर्णय होगा। अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(9) यह विवादित नहीं है कि इसके बाद मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया गया था, जिसमें शैक्षणिक मानदंड के लिए अंक 67 निर्धारित किए गए थे और मौखिक परीक्षा के लिए 33 अंक तय किए गए थे। उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने एक मौका लिया था और साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लिया। निर्धारित किए गए मानदंडों का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है:

"मानदंड

विज्ञापन के विरुद्ध पीजीटी के पदों के लिए हरियाणा पाठशालाशिक्षक चयन मंडल द्वारा अपनाए गए मानदंड। क्रमांक 1/2012 इस प्रकार है- शैक्षणिक मानदंड

मूल योग्यता स्नातक		67 अंक
1.	मूल योग्यता स्नातक। प्राप्त अंकों का प्रतिशत 0.10	10 अंक
2.	(ए) आवश्यक योग्यताएँ। स्नातकोत्तर (एम.ए.) में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 0.35 है (बी) शिक्षा स्नातक प्राप्त अंकों का प्रतिशत 05	35 अंक 5 अंक

3.	उच्च योग्यताएँ: 5 अंक 1)संबंधित विषय में पी.एच.डी 2) संबंधित विषय में एम.फिल	 3 अंक 2 अंक
4.	एसटीईटी/एचटीईटी प्राप्त अंकों का प्रतिशत 0.8 है।	8 अंक
5.	खेल/एनसीसी I)राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी ii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी iii) एनसीसी सी श्रेणी प्रमाणपत्र iv) एनसीसी बी श्रेणी प्रमाणपत्र (अधिकतम 4) 5(i) से 5(iv) के अंक)	4 अंक 1 अंक 2 अंक 1 अंक 1 अंक
6.	मौखिक परीक्षा	33 अंक

(10) रचना कुमारी के मामले में संलग्न याचिका यानी सीडब्ल्यूपी-8767-2015 को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने शिक्षाविदों में 31.48 अंक प्राप्त किए थे और उन्हें 20 अंक दिए गए थे। साक्षात्कार में. दावा यह था कि 31 से कम अंक पाने वाले व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को भी 33 में से 20 अंक दिए गए थे, लेकिन वह कटौती करने में असफल रही और फिर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया में भाग लिया था और अब वे पलट कर यह नहीं कह सकते कि मानदंड उचित नहीं है। सिद्धांत को बिना किसी संदेह के तय किया जा रहा है कि एक बार भाग लेने और चयनित नहीं होने के बाद उम्मीदवारों को मानदंडों को चुनौती देने से रोका जाता है। लिखित परीक्षा के अभाव में, उस समय याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन करने का विकल्प चुना था। श्रेणी न बनाने के बाद ही, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसलिए, अब वह पलट कर यह नहीं कह सकते कि निर्धारित मानदंड गलत थे, जिसके तहत साक्षात्कार के लिए 33 अंक दिए गए थे। उक्त सिद्धांत सभी चारों कोनों पर पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिए गए हैं और याचिकाकर्ता इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और खुली आंखों से इसमें भाग लेने के कारण मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों से बंधे होंगे। और अन्य; के.ए. नागमणि बनाम इंडियन एयरलाइंस और अन्य; मनीष कुमार शाही

(1995) 3 एससीसी 486

(2009) 5 एससीसी 515

बनाम बिहार राज्य और अन्य; मद्रास इंस्टीटचूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और अन्य बनाम के. शिवसुब्रमण्यन और अन्य और अशोक कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य

(11) एक अन्य पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि चयन समिति के सदस्यों के खिलाफ किसी भी समय दुर्भावना का कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चयन व्यक्तियों के एक निश्चित समूह को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया के आधार पर किया गया था और उक्त मुद्दे पर कानून द्वारा निर्णय लिया गया है। चंद्र प्रकाश सिंह और अन्य बनाम अध्यक्ष, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह माना गया था कि केवल सामान्य बयान दुर्भावना और पूर्वाग्रह का पर्याप्त संकेत नहीं होगा और दुर्भावना को निर्धारित करने के लिए दिखाया जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई टिकाऊ नहीं. फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "25. पंजाब राज्य बनाम वी.के. खन्ना में, इस न्यायालय ने माना कि प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की अवधारणा काफी न्यायिक बहस का विषय रही है, लेकिन इस अवधारणा के मूल तत्व पर पूर्ण सर्वसम्मति है कि यह न्यायालय के समक्ष जांच के लिए लंबित प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है और इसलिए कोई अवरोध सूत्र विकसित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह कहा गया है कि वास्तव में, निष्पक्षता तर्कसंगतता का पर्याय है और तर्कसंगतता के अर्थ को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर, सामान्य अंग्रेजी भाषा में यह कहा जाता है कि विवेक के एक सामान्य व्यक्ति के चिंतन में क्या है, इसी तरह इसे सराहना भी कहा जाता है। यह आम आदमी की धारणा अपने उचित परिप्रेक्षय में है जो न्यायालय को स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेगी कि क्या यह अन्यथा उचित है या नहीं। इसी प्रकार, दुर्भावनापूर्ण इरादे या पक्षपाती रवैये के अस्तित्व को अवरोध सूत्र पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि जहां निष्पक्षता तर्कसंगतता का पर्याय है वहीं गुणों में पूर्वाग्रह भी शामिल है

---

11 (2010) 12 एससीसी 576

12 (2016) 1 एससीसी 454

13" (2017) 4 एससीसी 357

14 (2008) 12 एससीसी 292

(जी.एस. संधावालिया, जे)

और "दुर्भावना" शब्द का व्यापक दायरा, जिसका सामान्य स्वीकार्यता में अर्थ और तात्पर्य "द्वेष" या "दुर्भावना" है। दुर्भावना के संकेत के प्रयोजनों के लिए केवल सामान्य कथन पर्याप्त नहीं होंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सबूत उपलब्ध होने चाहिए कि क्या वास्तव में कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण कदम था जिसके परिणामस्वरूप न्याय में बाधा उत्पन्न हुई। यह भी माना जाता है कि पूर्वाग्रह का परीक्षण यह है कि क्या पूर्वाग्रह की मात्र आशंका है या पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा है और इसी आधार पर आसपास की परिस्थितियों का मिलान किया जाना चाहिए और उससे आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालाँकि, इस घटना में, निष्कर्ष यह है कि पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा मौजूद है, प्रशासनिक कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि आरोप प्रशासनिक कार्रवाई में काल्पनिक आशंका से संबंधित हैं, तो उसके आधार पर उन्हें अस्थिर घोषित करने का सवाल ही नहीं उठता।"

(12) इसी तरह, भारत संघ और अन्य बनाम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और अन्य के मामले में, शीर्ष अदालत ने माना है कि यह धारणा प्रशासन के पक्ष में है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे विश्वास और सार्वजनिक लाभ के लिए करता है और पर्याप्त सामग्री का उत्पादन किया जाना है। संबंधित प्राधिकारी की दुर्भावना का सुझाव देना ।

(13) रामजीत सिंह कर्दम (सुप्रा) में याचनाकर्ताओं के वकील द्वारा रखा गया भरोसा भी उन्हें ज्यादा समय तक नहीं ले जाएगा क्योंकि उक्त मामले में, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के पद पर चयन को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और बरकरार रखा गया था। खंड पीठ का कहना था कि शुरू में 200 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जो आयोजित भी की गई थी, लेकिन बाद में परीक्षा में कदाचार के कारण रद्द कर दी गई। इसके बाद दोबारा परीक्षा होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई। परिणामस्वरूप, निर्णय लिया गया कि रिक्तियों की संख्या से 8 गुना उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूची किया जाना चाहिए और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। कहा गया मानदंड छोड़ दिया गया था कि सभी पात्र उम्मीदवारों को पहले के मानदंडों में बदलाव के कारण बुलाया जाना था। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि चयन के तरीके में बदलाव किया जा रहा था और शक्ति आयोग को सौंपी गई थी, लेकिन अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था।

---

15 (2002) 1 एससीसी 188

अपना। परिणामस्वरूप, यह माना गया कि वैधानिक अधिसूचनाएँ उन्हें चयन के तरीके को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देतीं, आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। परिणामस्वरूप, चयन प्रक्रिया को रद्द करने को बरकरार रखा गया। बल्कि यह देखा गया कि यह कानून में दुर्भावना का मामला था क्योंकि मानदंडों में बदलाव किया गया था और इस प्रकार आयोग के सदस्यों की अनुपस्थिति में भी और अध्यक्ष को पार्टी के प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था, यह माना गया कि निर्णय उचित नहीं है क्योंकि इससे योग्यता चयन प्रभावित होता है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है

> "62. कानून में द्वेष को "कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ" के रूप में निपटाया गया है। कानून में द्वेष भी शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है, वैधानिक शक्ति का उन उद्देश्यों के लिए प्रयोग, जिनके लिए यह कानून में है। वर्तमान मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में पद भरने के लिए योग्यता के आधार पर चयन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए चयन के तरीके को निर्धारित करने और चयन के लिए मानदंड तय करने की शक्ति आयोग को सौंपी गई थी। , जब मानदंडों में परिवर्तन किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से योग्यता चयन प्रभावित हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर पाया है, चयन आयोजित करने में आयोग के खिलाफ रिट याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, वे दुर्भावनापूर्ण कानून के आरोप हैं, न कि वास्तव में द्वेष।
>
> 63. उच्च न्यायालय ने आयोग के मूल रिकॉर्ड को तलब किया था जिसमें उम्मीदवारों को बुनियादी योग्यता के साथ-साथ आवश्यक योग्यता के साथ-साथ मौखिक परीक्षा दोनों पर दिए गए अंक भी शामिल थे। खंड पीठ बेंच द्वारा पैराग्राफ 34 और 36 में जो टिप्पणियां की गई हैं, वे कुछ चयनित उम्मीदवारों और गैर-चयनित उम्मीदवारों को आवंटित अंकों के पद्धति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष थे। उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि "यह महज एक घटना नहीं हो सकती है कि अकादमिक क्षेत्र में 90% मेधावी उम्मीदवारों ने मौखिक परीक्षा में इतना खराब प्रदर्शन किया कि वे 30 अंकों में से 10 अंक भी हासिल नहीं कर सके या उनकी प्रतिभा केवल धूमिल हो गई।" न्यूनतम योग्यता रखने वाले औसत उम्मीदवारों में" जहां परिणाम पत्रक से निष्कर्ष निकाला गया है और द्वेषपूर्ण कानून के आरोपों की फिर से पुष्टि की गई है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को निराधार नहीं कहा जा सकता है और न ही वे किसी सामग्री या विकृत पर आधारित हैं।

इन अपीलों में इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप की मांग करें। हम, इस प्रकार, श्री सिब्बल की इस दलील में कोई दम नहीं दिखता कि चूंकि अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं और उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मौखिक परीक्षा में अंकों के आवंटन के संबंध में रिट याचिका में लगाए गए आरोपों को नहीं देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा. बिंदु संख्या 6 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।"

(14) बिंदु संख्या 6 पर चर्चा करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा था कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पक्षकार बनाने के तथ्य के संबंध में कानून तय किया गया है और उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया जाना है और अनुपस्थिति में उसी को चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।

(15) ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि याचनाकर्ताओं के दावे को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कोई भी इस तथ्यात्मक पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने और नियुक्तियाँ किए जाने के बाद से लगभग एक दशक का समय बीत चुका है। इस समय, किसी भी उम्मीदवार या चयन समिति के खिलाफ किए गए किसी भी विशिष्ट दावे के अभाव में, निजी उत्तरदाताओं को नुकसान पहुंचाते हुए, समय को पीछे ले जाना अत्यधिक असमान होगा।

(16) परिणामस्वरूप, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान अपीलें बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाती हैं। तदनुसार, सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Ramphal Singh
Translator